नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **वत्तीय वर्ष 2026–2027 की शेष अवधि दिनांक 31.03.2027 तक के लिए** जनपद न्यायालय बिजनौर में स्थित फल एवं जूस विक्रय ठेला का ठेका जनपद न्यायालय, बिजनौर में **दिनांक 20.0.7.2026 से दिनांक 27.07.2026** तक **सीलबंद निविदा द्वारा नीलामी** की जायेगी नीलामी की शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बिजनौर तथा जनपद न्यायालय की बेवसाइट ecourts.gov.in/bijnor पर प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति तय दिनांक तक अपने बंद लिफाफे **केंद्रीय नजारत** जनपद न्यायालय बिजनौर में जमा कर सकते हैं।

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो साथ में लगाये।

नीलामी होने वाले ठेके का विवरण।

1. फल एवं जूस विक्रय ठेला

दिनांक : 18.07.2026

(लोकेश नागर)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज/ अतिरिक्त
पोक्सो, जनपद बिजनौर।

नीलामी की सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाये:–

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर। 18/7
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर। 18-7-26
3. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, बिजनौर। 18/7/26
4. कार्यालय तहसील सदर, बिजनौर। 18.7.26
5. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बिजनौर। 18/7/26
6. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्र। 18.7.26
7. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय, बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित की वह नीलामी की सूचना एवं शर्तें जनपद न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। 18/07/2026 3.45 pm

दिनांक : 18.07.2026

(लोकेश नागर)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज/ अतिरिक्त
पोक्सो, जनपद बिजनौर।

1208

ज्ञात

श्री मान जी,

आज दि० 18-7-26 ई० को जनपद न्यायाधीश बिजनौर के कार्यालय में पहुंचा सम्बन्धित लिपिक मिले जिन्होंने नीलामी की सूचना प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद

1. कार्यालय जिला अधिकारी बिजनौर
2. जिला पंचायत अधिकारी बिजनौर
3. तहसील सदर बिजनौर
4. नगर पालिका परिषद बिजनौर
5. जिला सूचना अधिकारी बिजनौर में

पहुंचा सम्बन्धित लिपिक मिले जिन्होंने सूचना प्राप्त कर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय बिजनौर को सूचना प्राप्त करा दी।

रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

ज्ञान मोहम्मद
आ० वाहक
केन्द्रीय नजारत
जिला जजी बिजनौर

18/07/26

डिप्टी नाजिर
जिला जजी बिजनौर

जनपद न्यायालय परिसर, बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2026–2027 की शेष अवधि दिनांक 31.03.2027 तक के लिए जूस के ठेले की निविदा के द्वारा नीलामी की शर्तें।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित फल एवं जूस के ठेले के ठेके की सार्वजनिक नीलामी वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर में **दिनांक 20.0.7.2026 से दिनांक 27.07.2026** तक **सीलबंद निविदा द्वारा** की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति तय दिनांक तक अपने बंद लिफाफे केंद्रीय नजारत जनपद न्यायालय बिजनौर में जमा कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें

1. पिछले वर्ष के बकायेदार, यदि कोई हो **वत्तीय वर्ष 2026–2027 की शेष अवधि दिनांक 31.03.2027 तक के लिए** निविदा नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
2. निविदा नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने निवास से संबंधित वैध प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी।
3. निविदा नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 20 प्रतिशत बतौर जमानत धनराशि निविदा के साथ जनपद न्यायाधीश बिजनौर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी, जो कि आरक्षित धनराशि के सापेक्ष होगी।
4. निविदा नीलामी जिसके नाम छूटेगी और जो निविदा 1,00,000/– तक होगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी। 1,00,000/– से 5,00,000/– तक निविदा पर आधी धनराशि तत्काल एवं शेष धनराशि दो किश्तों में प्रति दो माह में देय होगी तथा 5,00,000/– से ऊपर वाली निविदा पर 25 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह अंतिम के अंदर तथा शेष धनराशि तीन बराबर किश्तों में देय होगी जमानत की धनराशि अंतिम किश्त में समायोजित की जायेगी और उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परपित्रों की अपेक्षा के अनुसार लाईसेन्स ऐग्रीमेंट अपने व्यय पर निष्पादित कराना होगा तथा चल ठेंके दशा में मुल्य 100/– की स्आम्प पर और स्थाई स्थान आंवटित होने की दशा में ठेके की कुल धनराशि का 04 प्रतिशत की दर से स्टाम्प पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा।
5. सभी वर्तमान ठेकेदार भी निविदा नीलामी की शर्तों के अनुसार निविदा नीलामी में भाग ले सकते हैं।
6. ठेकेदार को प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा, अन्यथा उसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करके उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार ठेला प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत के आयोजन के दिवस में भी खोलेगा।
8. ठेकेदार ठेले के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
9. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

10. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान आदि नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया गया तो उसका ठेका निरस्त करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
11. ठेका शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना सूचना के जमानत धनराशि जब्त करके जनपद न्यायाधीश बिजनौर द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में ठेकेदार को अविलंब कब्जा वापिस करना होगा।
12. ठेकेदार ठेले को किसी अन्य उप–ठेकेदार को नहीं देगा।
13. जिला न्यायालय स्तर पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर उच्चतम निविदा दायक की जमा की गयी धरोहर धनराशि का समायोजन अनुमोदन उपरांत किया जायेगा। उक्त पर होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए निविदा दायक का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय, बिजनौर का होगा।

17.7.26
नितीश सिन्हा

(नितीश सिन्हा)
सदस्य नीलाम समिति/
सिविल जज (सी०डि०)
बिजनौर।

17.7.26
कमलदीप

(कमलदीप)
सदस्य नीलाम समिति/
अपर जिला जज / (एफ०टी०सी)
बिजनौर

17.7.26

(लोकेश नागर)
अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला जज/अतिरिक्त पोक्सो,
बिजनौर।